राष्ट्रीय लोक अदालत –2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 126/15
जीसीएमएस न :–2015/00166

निर्णय दिनांक 11.02.2023

बउनवान

1. छोटूलाल आयु 37 आत्मज रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।
2. रामनारायण आत्मज लटूर लाल जाति कराड निवासी ग्राम खेडा किशनपुरा
3. शिवराम आत्मज लटूर लाल जाति कराड निवासी ग्राम खेडा किशनपुरा
4. ओमप्रकाश आत्मज लटूर लाल जाति कराड निवासी ग्राम खेडा किशनपुरा
5. रमेश आत्मज लटूर लालजाति कराड निवासी ग्राम खेडा किशनपुरा
6. केली बाई पुत्री लटूर लाल जाति कराड निवासी ग्राम खेडा किशनपुरा
7. घीसी बाई बेवा लटूर लाल जाति कराड निवासी ग्राम खेडा किशनपुरा
8. मदनलाल आत्मज रामरतन जाति कराड निवासी ग्राम खेडा किशनपुरा
9. जयकिशन आत्मज रामरतन जाति कराड निवासी ग्राम खेडा किशनपुरा
10. कमला बाई बेवा रामरतन जाति कराड निवासी ग्राम खेडा किशनपुरा
11. यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया शाखा दरा जिला कोटा राजस्थान। जर्ये शाखा प्रबंधक दरा जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री ओम प्रकाश शर्मा।
प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

दावा अन्तर्गत धारा 49 88 89 92ए 188 आरटीएक्ट

निर्णय

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 49, 88, 89, 92ए, 188 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी में माल ग्राम चरचडिया उर्फ काशी पुरा तहसील कनवास जिला कोटा में खाता संख्या नई 27 पुरानी 29 की खसरा न 320 रकबा 0.81 है आराजी मुताबिक जमाबंन्दी सम्वत 2068 से 2071 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

यह कि वादी द्वारा वाद पत्र की मद न 1 में वर्णित आराजी पूर्व खातेदार रामवतार पुत्र चतरा एवं सत्यनारायण, राधेश्याम नाबालिग पुत्र चतरा जर्ये संरक्षक भाई रामवतार जाति कराड निवासी ग्राम लोढहेडा से 22.12.1998 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी थी। उक्त खरीद विक्रेता गण द्वारा मौके पर उनके द्वारा काबिज काश्त भूमि करीब 5 बीघा खसरा न 125 / 174 की ही मौके पर सम्भलावाई थी।

यह कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा न0 125 / 174 रकबा 5 बीघा भूमि पूर्व खातेदार चतरा आत्मज हीरालाल जाति कुराड निवासी ग्राम लोढाहेडा के खातेदारी व कब्जे काश्त की आाजी रही है। खातेदार चतरा उर्फ आत्मज हीरालाल जाति रिड निवासी ग्राम लोढाहेडा द्वारा करीब 50 वर्ष से अधिक समय पूर्व उक्त आराजी खातेदारी पुरूषेत्तम लाल मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा के खातेदारी व कब्जे काश्त में माल ग्राम चरचडिया में खसरा न 125 की बहुत बडे रकबे की आाजी रही है खातेदार पुरूषेत्तम लाल, मोहनलाल सोरल आत्मज मथुरा प्रसाद जाति ब्राहम्मण द्वारा अपने उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की माल ग्राम चरचडिया की आराजी में से अनेक व्यक्तियों आराजी का विक्रय किया है एवं मौके पर नाम तोल कर सीमाज्ञान कराकर कब्जा संभलवाया था। उन्ही में एक खरीद दार चतरा आत्मज हीरालाल भी एक केता रहा है चतरा पुत्र हीरालाल द्वारा खरीद के बाद से ही ग्राम चरचडिया पुराने गाव की आबादी में जाने वाले रास्ते की आराजी से उत्तर दिशा में संलग्न आराजी पर ही काबिज काश्त रहा है। उक्त आराजी के संलग्न पूर्व दिशा में बिरधी लाल आत्मज हीरालाल जाति कराड निवासी लोढाहेडा की आाजी सलंग्न रही है जिसमें 25.06.1998 को रामकिशन आत्मज रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट को आराजी विकय की है उसके खातेदारी की अराजी स्थित रही है वर्तमान में वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जो वाद पत्र की मद न 1 में वर्णित खसरा न 320 रकबा 0.81 हैक्टर आराजी के खसरा मिलान क्षेत्रफल खसरा कमांक 125 / 174 रकबा 5 बीघा रहे है खसरा मिलान क्षेत्रफल 2058 वादपत्र के साथ संलग्न है।

यह कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2053 से 2056 के मुताबिक वाद पत्र की मद न 1 में वर्णित अराजी वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 125 / 174 रकबा 5 बीघा रही है जो वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त में राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही हैं नकल जमाबंदी वाद पत्र के साथ संलग्न है।

यह कि सेटलमेन्ट हाल अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वादी के खातेदारी की आराजी के सेटलमेन्ट हाल 2058 के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा न 125 / 174 रकबा 5 बीघा के नवीन खसरा न0 320 रकबा 0.81 हैक्टर कायम किया है सेटलमेन्ट हाल द्वारा वादी के खातेदारी के नवीन कायम किये खसरा न का रकबा तो पूर्ववत ही कायम किया है परन्तु नक्शा ट्रेस में में वादी के खातेदारी की अराजी को अन्यत्र अंकित कर दिया यानी वादी के कब्जे काश्त से भिन्न स्थान पर मनमाने तरीके से मौके पर कब्जे काश्त के तथ्य को नजर अन्दाज कर अंकित कर दिया एवं वादी के कब्जे काश्त के स्थान पर खसरा न 301 रकबा 3.43 हैक्टर कायम कर उसमें मिला दिया। जबकि वादी वकत खरीद से ही एवं उसके पूर्व खातेदार चतरा उर्फ हीरालाल कराड लोढाहेडा निरन्तर करीब 50 वर्ष से काबिज काश्त होकर बैसित खातेदार अपने खातेदारी की आराजी का उपयोग उपभोग कर रहा है वादी राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा न 301 की 3.43 हैक्टर आराजी में से 0.81 हैक्टर आराजी पर काबिज काश्त है।

यह कि इस प्रकार प्रतिवादीगण 2 लगायत 10 के खातेदारी के भी सेटलमेन्ट हाल द्वारा खसरा न 280 284 288 कायम किये है एवं उन्हें भी वर्तमान नक्शा टेस में उनके कब्जे काश्त से मिन स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

अंकित कर दिया है एवं अन्य अनेक कृषक जो पुराने खसरा न 125 के खातेदार कृषक रहे है उनके खातेदारी की अराजी के सेटलमेन्ट हाल द्वारा नवीन खसरा न रकबा हैक्टर में कायम कर मनमाने तरीके से उनके निरन्तर 50 वर्ष से कब्जे काश्त के दर किनार उन्हें सुनवाई का बिना अवसर दिये नक्शा ट्रेस में मनमाने तरीके से उकने कब्जे काश्त से भिन्न स्थान पर अंकित कर दिया जिसके कारण काश्तकारों के बीच आपस में विवादास्पद स्थिति बन गई है।

यह कि प्रतिवादी ग्राम व इलाके के ताकतवर व सरजोर प्रकृति के लडाकू किस्म के व्यक्ति है प्रतिवादी कमांक 2 लगायत 10 को वर्ष 2014 माह जुलाई में हल्का पटवारी के माध्यम से नक्शा टेस में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण नक्शा सीट के आधार पर पैमाईश कराकर अपने खातेदारी में अंकित खसरा न 280 284 288 की आराजी पर जबरन विधि विरूद्ध कब्जा करने पर आमदा हो गये । उन्होने इस निमित्त तहसील कनवास को पैमाईश का प्रार्थना पत्र पेश कर माल ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा की अराजी खसरा न 280 284 288 की पैमाइश दिनांक 15.07.2015 को पुलिस जाप्ते की मोजूदगी में दिनांक 15.07.2014 को हल्का पटवारी शिवपाल सिंह सोलंकी हल्का धूलेट एवं हलक पटवारी पटवार मंडल मामोर द्वारा बिना वादी एवं अन्य प्रभावित काश्त कारों को सूचित किये बगैर षडयन्त्र पूर्वक पैमाईश रिपोर्ट तैयार की गई एवं वादी एवं अन्य काबिज काश्तकारों की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी जिस पर उनका करीब 50 वर्ष से निरन्तर सुस्थापित विधि संगत कब्जा काश्त चला आ रहा है उस भूमि को प्रतिवादी गण 2 लगायत 10 के खातेदारी की भूमि पेमाईश रिपोर्ट में बता दिया गया है इसी का नाजायज फायदा उठाने की गरज से प्रतिवादी गण 2 लगायत 10 जबरन वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर कब्जा करने पर आमाद हो गये उस समय तो प्रशासन द्वारा समझााईश कर मामला टाल दिया गया परन्तु उसके बाद से निरन्तर प्रतिवादीगण 2 लगायत 10 वादी को उसके खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने का प्रर्यास किया। वादी को उक्त राजस्व रेकार्ड नक्शा टेस में की गई सेटलमेन्ट विभाग की त्रुटि का प्रथम बाद माह जुलाई 2014 में जानकारी हुई उसके बाद वादी द्वारा पुराना राजस्व नक्शा टेस सेटलमेंन्ट 2058 के पूर्व का प्राप्त किया तो उसमें खसरा न 125 के सम्पूर्ण रकबे का इकजाई रकबा ही था उसमें विभाजित खसरा कमांक का अंकित नही था उकत सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा खसरा न 125 का ईकजाई रकबा दर्ज होने से वर्तमान सेटलमेन्ट के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से नक्शे टेस में कब्जा काश्त के तथ्यों पर गौर किये बिना नवीन नक्शा टेस में मनमाने तरीके से नक्शा टेस में विभाजित खसरा कमांक अंकित कर दिये है जिसे माननीय न्यायालय में हक घोषणा इन्द्राज दुरस्ती चक बन्दी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हाने से वादी द्वारा वाद पेश किया गया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलवी जर्ये सम्मन की गई प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 11 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये गये इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही दिनांक 18.01.2017 को अमल में लाई गई पत्रावली वास्ते जवाब सरकार में नियत की गई। पत्रावली काफी समय से जवाब सरकार में नियत होने से जवाब सरकार बन्द किया जाता है पत्रावली पर किसी भी पक्षकार द्वारा वादी के वाद का कोई खंडन या विरोध नही किये जाने से पत्रावली पर तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही होने से साक्ष्यवादी में नियत की गई वादी के द्वारा साक्ष्य वादी में पीडब्लू 1 छोटूलाल पुत्र रामनारायण जाति धाकड का शपथ पत्र पेश हुआ शपथ पत्र वादी स्वयं छोटूलाल पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी धूलेट तहसील कनवास के द्वारा साक्ष्यवादी में पेश किया गया शपथ पत्र को स्वयं के द्वारार लिखाया जाकर सही एवं सत्य होना स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

गया शपथ पत्र बाद तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया वादी द्वारा शपथ पत्र में माल ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास में स्थित जो चरचडिया जाने वाली पगडडी के उत्तरी तरफ स्थित खसरा न 298 में से 0.81 है0 का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है एव वादी के खाते मे अंकित खसरा न 320 की रकबा 0.81 है0 को गैर मुमकिन खाल खददर घोषित किये जाने हेतु निवेदनल किया, जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस में में नियत की गई पत्रावली पर बहस वादी सुनी गई। पत्रावली राष्टीय लोक अदालत कनवास में पेश हुई वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पर बहस वादी सुनी जाकर पत्रावली आदेश में नियत की गई थी पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र आदि का अवलोकन किया गया वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाए गये वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि माल ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास में स्थित जो चरचडिया जाने वाली पगडडी के उत्तरी तरफ स्थित खसरा न 298 में से 0.81 है0 का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है एवं वादी के खाते में अंकित खसरा न 320 की रकबा 0.81 है0 को गैर मुमकिन खाल खददर घोषित किया जाला है तदनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार अतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत 2023 में मजमे आम सुनाया गया

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner